पटना विश्वविद्यालय

अधिसूचना

वित्त विभाग, बिहार सरकार संकल्प संख्या–3ए–3–भत्ता–01/2022–5780/वि० दिनांक 21.05.2025 के अलोक में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से 53 प्रतिशत महँगाई भत्ता के स्थान पर 55 प्रतिशत महँगाई भत्ता/ राहत के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर चुकी है।

पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, पदाधिकारियों तथा पेंशनरों को दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से मूल वेतन का 53 प्रतिशत महँगाई भत्ता के स्थान पर 55 प्रतिशत वर्द्धित महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत, जून 2025 माह के वेतन के साथ भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

साथ ही जनवरी 2025 से मई 2025 तक वर्द्धित महँगाई भत्ता/ महँगाई राहत के बकाया राशि का भुगतान जून 2025 माह के वेतन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

(1) मूल वेतन की गणना बिहार सेवा संहिता के नियम 34 ए० (1) में यथापरिभाषित के अनुसार की जायेगी। मूल वेतन से भिन्न विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

(2) महँगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती है तो अगले उच्चतर रू. में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

कुलपति के आदेशानुसार,

Shalini
26-6-2025

कुलसचिव

पटना विश्वविघालय, पटना।

ज्ञाप संख्या–एसी/लेखा०/1948

दिनांक– 26.06.2025

प्रतिलिपिः– (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना (2) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना (3) सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, प० वि० वि० (4) सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या, प० वि० वि० (5) सभी संस्थाओं के निदशेक, प० वि० वि० (6) सभी पदाधिकारीगण, प० वि० वि० (7) सभी छात्रावासों के अधीक्षक, प० वि० वि० (8) मुख्य चिकित्सा पदा०, प० वि० वि० (9) प० वि० वि०, अभियंता प० वि० वि० (10) पुस्तकाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, प० वि० वि० (11) प्रेस अधीक्षक, प० वि० वि० (12) प्रशाखा पदा०, लेखा शाखा, प० वि० वि० (13) प्रशाखा पदा०, पेंशन शाखा, प० वि० वि० (14) प्रशाखा पदा०, स्थापना शाखा, प० वि० वि० (15) कुलपति के सचिव, प० वि० वि० (16) महासचिव, प० वि० वि० शिाक्षक संघ (17) महासचिव, प० वि० वि० कर्मचारी संघ (18) महासचिव, प० वि० वि० कॉलेज कर्मचारी संघ (19) महासचिव, सेवा निवृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ, प० वि० वि० (20) मुख्य प्रबंधक, इंडियन बैंक, पटना विश्वविद्यालय शाखा, अशोक राजपथ, पटना–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shalini
26-6-2025

कुलसचिव

पटना विश्वविघालय, पटना।

26/06/25